



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 30-04-21

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा कालाबाजारी में लिप्त 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार तथा अभि0 के कब्जे से भारी मात्रा में कालाबाजारी हेतु जमा किए हुए 638 ऑक्सीजन सिलेंडर खाली बरामद ।

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कोविड -19 के दृष्टिगत कालाबाजारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 29.04.2021 को साइट - 4 बी - 38 औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्री से थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा कालाबाजारी में लिप्त 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से भारी मात्रा में कालाबाजारी हेतु जमा किए हुये 638 ऑक्सीजन सिलेंडर खाली बरामद किये गये ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

समीर उर्फ सलीम पुत्र स्व0 लईक अहमद निवासी म0न0 1/628/ ए शीतला माता मन्दिर मार्ग , रोहताश नगर शाहदरा दिल्ली ।

नाम पता फरार अभियुक्त

जय गोपाल मेहता पुत्र स्व0 कृष्ण लाल मेहता निवासी बी 9 स्वास्थ्य विहार थाना प्रीत विहार दिल्ली

बरामदगी का विवरण - 638 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद

अभियुक्त का अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त जय गोपाल इंटरप्राइजेज का कर्मचारी है, अपने मालिक श्री जय गोपाल मेहता पुत्र स्व0 कृष्ण लाल मेहता निवासी बी 9 स्वास्थ्य विहार थाना प्रीत विहार दिल्ली के कहने पर ऑक्सीजन के सिलेंडरों की बिक्री निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत पर करता है । अभि0 द्वारा भारी मात्रा में कालाबाजारी हेतु गैस सिलिण्डर संग्रहित किये गये हैं जिसे वह निर्धारित मूल्य से दो तीन गुना अधिक दाम पर बेचता है सिलिण्डर की उपलब्धता कम होने या ओवरप्राइजिंग होने का सीधा असर जीवन रक्षक आक्सीजन की आपूर्ति पर पड़ता है फलतः आक्सीजन गैस अत्यधिक महँगे दामों में मरीजों को उपलब्ध हो पा रही है ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 0129/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना लिंकरोड गा0बाद ।



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दो अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 370

नशीली गोलिया अल्प्राजोलम बरामद ।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 29.04.2021 को मोहननगर बस स्टैण्ड के पास से दो अभियुक्त 1-सोनू



पुत्र घनश्याम नि० 11/1 गली नं० 01 गंगा एन्कलेव लोनी बार्डर थाना लोनी बोर्डर गा०बाद(190गोलिया) 2-असलम पुत्र आसिफ अली नि० प्रेमनगर 52पीर हनुमार मन्दिर के पीछे थाना लोनी गा०बाद(180गोलिया) को 370 अदद नशीली गोलिया अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु नशे के आदी लोगों को नशीली गोलिया बेचकर अपने व अपने परिवार का भरणपोषण करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सोनू पुत्र घनश्याम नि० 11/1 गली नं० 01 गंगा एन्कलेव लोनी बार्डर थाना लोनी बोर्डर गा०बाद।
2. असलम पुत्र आसिफ अली नि० प्रेमनगर 52पीर हनुमार मन्दिर के पीछे थाना लोनी गा०बाद।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 654/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम सोनू।
2. मु०अ०सं० 655/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम असलम।

बरामदगी का विवरण:-

1. 370 अदद नशीली गोलिया अल्प्राजोलम बरामद।